न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान परमेश्वरी आदि बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या –124/2025
निर्णय दिनांक 12/09/2025

1. परमेश्वरी पत्नी स्व. मुलाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू
2. बिमला पुत्री स्व. मुलाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू
3. रामनिवास पुत्र स्व. मुलाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू
4. सन्तोष पुत्री स्व. मुलाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर बड़ा पटवार हल्का झाड़सर छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 74 के खसरा सं. 399/52 तादादी 1.7197, हैक्ट में राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की कृषि भूमि में इंतकाल के समय भूलवश वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादीया सं. 1 का नाम प्रमेश्वरी पत्नी मूलचन्द, वादीगण सं. 2 ता 4 के पिता का नाम मूलचन्द दर्ज है, जो गलत है। जबकि वादीनी परमेश्वरी पत्नी स्व. मुलाराम एवं वादीगण 2 ता 4 के पिता का सही नाम स्व. मुलाराम है। वादीगण के पति व पिता मुलाराम का देहान्त हो जाने के कारण उक्त खसराजात की राजस्व जमाबंदी में वादीगण के पति व पिता का नाम मूलचन्द के स्थान पर मुलाराम करवाने हेतु उक्त वाद पेश किया है। वादीगण का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। वादीगण के पति व पिता के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज में वादीगण के पति व पिता का सही नाम मुलाराम अंकित है। अब वादीगण जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रही है कि कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर बड़ा पटवार हल्का झाड़सर छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 74 के खसरा सं. 399/52 तादादी 1.7197, हैक्ट में वादीगण के पति व पिता का नाम मुलाराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार राजगढ़ से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ़ से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीगण के पति व पिता का नाम मूलचंद व मुलाराम एक ही व्यक्ति का नाम होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने वादिया परमेश्वरी पत्नी स्व. मुलाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ़ का शपथ पत्र मय दस्तावेज इस आशय का पेश किया गया कि वादिया के पति व वादीगण सं. 2 ता 4 के पिता का नाम मुलाराम है। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड में वादीनी का नाम परमेश्वरी पत्नि मुलाराम एवं वादीगण 2 ता 4 के पिता का नाम मुलाराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम प्रमेश्वरी पत्नि मूलचन्द एवं वादीगण सं. 2 ता 4 के पिता का नाम मूलचन्द अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही झाड़सर बड़ा पटवार हल्का झाड़सर छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 74 के खसरा सं. 399/52 तादादी 1.7197, हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण सं. 01 का नाम प्रमेश्वरी पत्नि मूलचन्द एवं वादीगण 2 ता 4 के पिता का नाम मूलचन्द **Delete** कर इसके स्थान पर वादीगण सं. 01 का नाम परमेश्वरी पत्नि मुलाराम एवं वादीगण सं. 2 ता 4 के पिता का नाम मुलाराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner